राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

दूसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना (नोटिस) दी जाती है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड /संस्था) के सदस्य/शेयरधारक की दूसरी वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य-दृश्य (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 17 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 10:00 बजे (आई एस टी) को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपनाने के लिए.

   विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, एतदद्वारा अंगीकृत किया जाता है.

2. संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक की पुनर्नियुक्ति

   विचारोपरांत उचित पाए जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

   संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 की धारा 26 (1) के प्रावधानों और संबंधित नियमों/विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / वैधानिक लेखा परीक्षक (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों संबंधी दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को जारी पत्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई दिशानिर्देश) द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2023 को जारी पत्र, और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), या पुनः संशोधन (नों) जो यथा समय के लिए लागू है) तथा निदेशक मंडल की सिफारिशों के अनुसार, मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (पंजीकरण संख्या 110266W) को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और वे निदेशक मंडल या संस्था के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारिश्रमिक तथा अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार लागू अतिरिक्त

खर्च, परिव्यय और कर जो कि निदेशक मंडल या बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लेखा परीक्षक के साथ परामर्श से तय किया गया है, पर तीसरी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे.

पुनः संकल्प किया गया कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, संस्थान के निदेशक मंडल को संस्थान की ओर से ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें निपटाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से, इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे और संस्थान की ओर से उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का समाधान कर सकता है जो कि संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन भूमिकाओं, जिम्मेदारियों / कार्य के दायरे के निर्धारण तक सीमित नहीं है, वैधानिक लेखा परीक्षक और अन्य अनुमत कार्य, यदि कोई हो, प्रासंगिक, प्रचलित वैधानिक/नियामक प्रावधानों के अनुरूप और बातचीत, अंतिम रूप देना, संशोधन करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना, निष्पादित करना, इस संबंध में किसी भी अनुबंध या दस्तावेजों सहित नियुक्ति की शर्तें, बिना आवश्यकता के संस्थान के सदस्यों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, अधिकृत किया जाता है.

नोट्स :

1. कॉरपोरेट मामलों के संबंधित मंत्रालय ('एमसीए') परिपत्रों के अनुपालन में, संस्थान की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

   चूंकि यह वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संबंधित एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्य की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है. तदनुसार, सदस्य द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं.

2. सदस्य से अनुरोध है कि वह कंपनी सचिव को aishwarya.mhatre@nabfid.org पर अपने प्रतिनिधि को आगामी एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाला एक पत्र भेजें.

3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्य की गणना कोरम की गणना के लिए की जाएगी.

4. उक्त एमसीए परिपत्रो के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना सदस्य को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है.

5. सदस्य/प्रतिभागियों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देश नीचे दिए गए हैं:
   i. सदस्य/प्रतिभागियों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए बैठक की तारीख और समय का एक ईमेल प्राप्त होगा.
   ii. ईमेल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बैठक में शामिल होने के लिए एक लिंक होगा. सदस्य / प्रतिभागी उक्त लिंक पर क्लिक कर सकते हैं एवं अपने कम्प्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/मोबाइल के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं. यह सलाह दी जाती है कि अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन डाउनलोड करें और इसे तैयार रखें.
      - यदि आपके सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन है, तो यह आपको बैठक में शामिल होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन पर निर्देशित करेगा. इसके बाद, बैठक में शामिल होने के लिए अब शामिल हों (ज्वाइन नाउ) टैब पर क्लिक करें.
      - यदि आप अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बजाय वेब पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं. कृपया वेब पेज पर शामिल हों (ज्वाइन) पर क्लिक करें. इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और ज्वाइन नाउ टैब पर क्लिक करना होगा और उसमें प्रतीक्षा करनी होगी, आयोजक स्वीकार करेगा और आपको बैठक में शामिल होने की अनुमति देगा.
   iii. सदस्यों/ प्रतिभागियों से अनुरोध है कि सभी परीक्षण और तार्किक मुद्दों को पूरा करने के लिए कम से कम 15 मिनट पहले बैठक में शामिल हों.
   iv. सदस्य/प्रतिभागी जिन्हें बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे कंपनी सचिव को aishwarya.mhatre@nabfid.org पर लिख सकते हैं.

बोर्ड की आज्ञानुसार

श्री. राजकिरण राय जि
प्रबंध निदेशक (एम डी)
डीआईएन: 07427647

दिनांक : 20 अप्रैल, 2023
स्थान : मुंबई

कार्यालय का पता :

स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400051
दूरभाष: +91 22 69479502

व्याख्यात्मक विवरण :

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 26(1) के अनुसार, संस्थान के खातों का लेखा-जोखा लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (1) के तहत लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य माना गया है और जिन्हें संस्थान द्वारा शेयरधारकों की आम बैठक में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल द्वारा निश्चित अवधि के लिए और रिज़र्व बैंक द्वारा ही तय किए गए निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा.

एनएबीएफआईडी के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 09 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से जानकारी मांगी गई थी. आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2022 के माध्यम से वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया है. वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को आरबीआई (आरबीआई दिशानिर्देश) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान निरंतर आधार पर पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली फर्मों को अधिकतम तीन वर्षों की निरंतर अवधि के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है. इसके अलावा, ऑडिट फर्म, ऑडिट कार्यकाल के एक कार्यकाल के पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा होने के बाद छह साल (दो कार्यकाल) के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी. सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रस्तावित पुनर्नियुक्ति तीसरे वर्ष के लिए है.

इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 की धारा 26 (1) के प्रावधानों और संबंधित नियमों/विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार और आरबीआई के दिशानिर्देशों और कोई अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), या पुनः संशोधन (नों) जो यथा समय के लिए लागू है) तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 16 जुलाई, 2022 को अपनी बैठक में संतोषजनक प्रदर्शन पर विचार करते हुए मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (पंजीकरण संख्या 110266W) को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और वे निदेशक मंडल या संस्था के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पारिश्रमिक पर दूसरी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे तथा अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार लागू अतिरिक्त खर्च, परिव्यय और कर निदेशक मंडल या बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लेखा परीक्षक के साथ परामर्श से तय किया गया है. उक्त नियुक्ति को दिनांक 24 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदित किया गया था.

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को आयोजित बैठक में, शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, संतोषजनक प्रदर्शन पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024 के लिए मैसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे तीसरी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे.

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड एजी) पैनल द्वारा (सी एंड एजी / आरबीआई द्वारा ऑडिट से इनकार करने वाली फर्मों को हटाने के बाद) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुंबई स्थित ऑडिट फर्मों की सूची में उक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का नाम है, जैसा कि आरबीआई द्वारा साझा किया गया है. इसके अलावा, यदि सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम वित्तीय वर्ष 2024 के लिए नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड एजी) में नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेषित किया गया है या यदि सांविधिक लेखापरीक्षक के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है, तो संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में किसी अन्य फर्म की नियुक्ति के लिए शेयरधारक से अनुमोदन की मांग की जा सकती है.

मैसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है:

- फर्म की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी और वर्तमान में इसके 22 भागीदारों (13 मुंबई में स्थित हैं) सहित कर्मचारियों की संख्या 352 है.
- फर्म का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है और अखिल भारतीय स्तर पर इनकी कुल 23 शाखाएँ हैं.
- फर्म के वरिष्ठ भागीदार 35 से अधिक वर्षों से इस पेशे में हैं.
- फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रमुख श्रेणी में फोरेंसिक ऑडिट और धोखाधड़ी जांच, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कॉर्पोरेट ऑडिट और कॉर्पोरेट लेखा, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स ऑडिट, सार्वजनिक और निजी कंपनियों का आंतरिक ऑडिट, चैरिटेबल ट्रस्ट और बैंक, राज्य अधिनियम के तहत वैट ऑडिट, आरबीआई और सेबी विनियमों के तहत ऑडिट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑडिट, बैंक का वैधानिक, समवर्ती और स्टॉक ऑडिट, कंपनियों का समामेलन, विलय, अधिग्रहण और रणनीतिक गठबंधन, कॉर्पोरेट परामर्श, व्यवसाय मूल्यांकन, विदेशी सहयोग आदि , प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान मामलों, आयकर, बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आरओसी (कंपनियों के रजिस्ट्रार), सेवा कर, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आदि पर सलाह देने वाले विशेषज्ञ तथा आंतरिक और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल है.
- यह फर्म लगभग 25 बीएफएसआई से जुड़ी हुई है जिसमें बैंक/सहकारी समितियां शामिल हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि.
- यह फर्म सिडबी के सहयोग से शाखा-स्तरीय समवर्ती लेखापरीक्षा करती रही है. इनकी सेवाएं संतोषजनक पाई गई है.
- फर्म वर्तमान में एचपीसीएल और कई अन्य प्रसिद्ध कंपनियों, बैंकों और एनबीएफसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक हैं.

मैसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त होने की इच्छा व्यक्त की है और पुष्टि की है कि उनकी पुनर्नियुक्ति, यदि की जाती है, तो उनकी पुनर्नियुक्ति आरबीआई के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी.

उपरोक्त के मद्देनजर, सदस्य से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की पुनर्नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल की सिफारिशों पर विचार करें और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास अधिनियम, 2021 ("अधिनियम") और प्रासंगिक नियम/विनियम, यदि कोई हो, की धारा 26 (1) के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियमों और शर्तों पर वित्त वर्ष 2024 के लिए आरबीआई परिपत्र दिनांक 01 मार्च, 2023 के अनुसार लेखापरीक्षा शुल्क शामिल है, लेखा परीक्षकों के परामर्श से निदेशक मंडल या लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक और खर्च पर तीसरी वार्षिक आम बैठक तक उनके कार्यक्षेत्र और वस्तू एवं सेवा कर और ऐसे अन्य करों के आधार पर जो लागू हो सकते हैं, के अनुसार पद पर बने रहेंगे.

निदेशक मंडल इस सूचना के मद क्रमांक 2 पर संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है.

संस्था का कोई भी निदेशक, या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से मद क्रमांक 2 के संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है.

बोर्ड की आज्ञानुसार

श्री. राजकिरण रै जी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07427647

दिनांक : 20 अप्रैल, 2023
स्थान : मुंबई

कार्यालय का पता :

स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400051
दूरभाष: +91 22 69479502